संख्या

ACJ

Ti - 62/16

टिप्पणी (क्रमिक)

जी. ई. एन. 19

सायचेल्प जमा हस्तांतरण

14/6/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष बहस नहीं चाहते हैं। न्यायालय में एक की अतिरिक्त अवसर दिया जाता है। आगामी पेशी पर बहस हेतु कार्यक्रम देय किया जाकर गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस नियमानुसार 6/7/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

6/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस मनन किया जाकर उपलब्ध अभिलेख का मय फुलवारी अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त भूखण्ड के निस्तारण तक विवादित भू-खण्ड को क्रेडिट बनाये रखना उचित प्रतीत होता है। जिससे विवाद बहुलता न बढ़े। अतः आज दिनांक 7/9/2016 को पारी केटरिंग अभिलेख की फाल्मेल फुलवारी कार्यालय निबंधन की फाल्मेल फुलवारी उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है व उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि फाल्मेल फुलवारी विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 172 रकबा 0.24 है. वाके ग्राम तीलावाला पटवार हल्का जगतपुरा स.मं.नि. के मुताबिक वस्तुस्थिति यथावत रखें तथा किसी प्रकार परिवर्तन का प्रयास न करें तथा कोई निर्माण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर उभयपक्ष के बयान हेतु दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 6/7/23 को लिखाया जाकर खोले इजलास सुनाया गया।

6/7/23

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner